कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

पत्रांक : 09 / मु0वि0प्रा0 / मु0अभि0 / 2023–24 दिनांक : 16 / 11 / 2023

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तालिका के क्र0 सं0 01 से 02 पर अंकित कार्यो हेतु किसी भी राजकीय विभाग / निगम / प्राधिकरण / अभिकरण / परिषद में पंजीकृत फर्मो / ठेकेदारों से टू–बिड पद्धति पर सपठित नियम व शर्तो के अधीन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदायें तालिका के कॉलम सं0 (8) में अंकित तिथि व समय तक डाउनलोड / अपलोड की जा सकेगी तथा प्राप्त निविदाएं कॉलम सं0 (9) में अंकित तिथि व समय पर खोली / डाउनलोड की जायेंगी।

S.No.	Name of work	Estimated cost (Rs. In Lacs)	Earnest Money (Rs.)	Cost of bid document / e-Tender processing fee+18%GST (Rs.)	Work Period (Months)	Category Of Bidder	Last Date/Time of uploading of e-tender document	Date & place of opening Technical bid/ Pre- qualification part through E-tender procurement solution
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	एकता विहार (दक्षिणी) में पार्क, नाली की मरम्मत एवं सड़को पर बी0सी0 का कार्य।	81.41	1,62,900/-	5000+900	03 माह	''विशिष्ट''* श्रेणी	08.12.2023 को सांय 6:00 बजे तक	11.12.2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे एम0डी0ए0 मीटिंग हॉल
2	दिल्ली रोड पर मनोहरपुर–मालीपुर मार्ग पर रेल विहार कॉलोनी से परम्परा एलिट टाउनशिप तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	351.52	7,03,100/-	5000+900	06 माह	''विशिष्ट''* श्रेणी	14.12.2023 को सांय 6:00 बजे तक	15.12.2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे एम0डी0ए0 मीटिंग हॉल

*नियम व शर्तों का क्रमांक 11 देखें

नियम व शर्ते :–

1. निविदा मूल्य व जमानत (धरोहर) धनराशि आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, प्लॉट नं0– 409, सिविल लाईन्स, अपोजिट महिला पुलिस स्टेशन, मुरादाबाद (यू0पी0) – 244001 के Account No-019001006737, IFSC code – ICIC0000190 में NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि जमा कराते हुए प्राप्त यू0टी0आर0 स्लिप (पृथक–पृथक) की स्कैन कॉपी ई–निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित निविदा शुल्क या धरोहर धनराशि प्राधिकरण खाते में निर्धारित समय तक प्राप्त नही होने की स्थिति में निविदा मान्य नही होगी। निविदा मूल्य की जमा धनराशि किसी भी दशा में वापिस नहीं की जायेगी।
2. यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होता है तो उसके ठीक अगले कार्य दिवस मे निविदा खोली जायेगी।
3. निविदादाता को आयकर विभाग एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती पूर्व की भांति ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
4. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
5. निविदादाता कृपया स्वयं स्थल देख लें और सही स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में दरें अंकित करें। निविदा में दी गयी दरें 90 दिन तक मान्य होंगी।
6. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर लगाये गये करों सहित नियमानुसार अन्य कटौतियाँ लोक निर्माण विभाग व शासन द्वारा निर्गत नियमों के अनुसार फर्म / ठेकेदार के चलित देयक से की जायेगी।
7. जो निविदादाता अपनी दरें बी0ओ0क्यू0 की दरों से 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दरें अंकित करते हैं, उन्हें बी0ओ0क्यू0 से 10 प्रतिशत निम्न तक 0.5 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी / परफॉरमेन्स गारन्टी जमा करनी होगी।
8. निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम–1996 के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को निविदा में दर्शित मदों के समान प्रकृति के कार्य का अनुभव संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा मे निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदा सूचना प्राधिकरण की वेबसाईट www.mdamoradabad@up.gov.in पर एवं निविदा प्रपत्र ई–पोर्टल http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। निविदाओं के सम्बन्ध मे कोई भी संशोधन / परिमार्जन / परिवर्तन व अतिरिक्त सूचनाऐं ई–पोर्टल http://etender.up.nic.in पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। अतः इच्छुक निविदादाताओ से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त ई–पोर्टल को समय–समय पर देखते रहें।
11. ''विशिष्ट'' श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत कार्य हेतु किसी भी विकास प्राधिकरण / उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद / शासकीय विभाग में पंजीकृत फर्म निविदा में प्रतिभाग कर सकती है। प्राधिकरण में अपंजीकृत सफल निविदादाता को मु0वि0प्रा0, मुरादाबाद में उपयुक्त श्रेणी में निर्धारित अर्हताओं जिसका विवरण निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न पंजीकरण नियमावली में दिया गया है, की पूर्ति करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मो को निविदा के साथ नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. प्राधिकरण द्वारा तकनीकी बिड के आंकलन के समय निविदादाता द्वारा न जमा किया गया ऐसा कोई अभिलेख जो निविदा प्रक्रिया को materially प्रभावित न करता हो की मांग निविदादाता से की जा सकेगी। निविदादाता स्वयं कोई अभिलेख प्राधिकरण को अलग से प्रेषित नही करेगा, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में उससे सम्बन्धित अभिलेख जमा करने हेतु मांग न की जाये।
13. कार्य की मात्रा में कमी / बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा / समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
14. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य / अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर / जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा।
15. स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता का सगा सम्बन्धी (First blood relation & their dependant) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
16. निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उसका अथवा उसके पति / पत्नी का अथवा उसके किसी भी पार्टनर अथवा पार्टनर के पति / पत्नी का निकट का रिश्तेदार (माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, भाई, बहन) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी समय इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
17. आवेदनकर्ता को प्रस्तर–15 में उल्लेखिंत शर्तो के अतिरिक्त एक शपथ पत्र इस आशय से भी देना होगा कि उस का कोई निकट सम्बन्धी (माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी) किसी फर्म या कंपनी में भागीदार अथवा डायरेक्टर नहीं है जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद में पंजीकृत ठेकेदार हो, और यदि ऐसा है तो उस समस्त विवरण अपने रिश्तेदार की फर्म अथवा कंपनी का उल्लेख करते हुये अपने आवेदन के साथ वर्णित करना आवश्यक होगा, साथ ही आवेदक को यह भी घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा कि प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा में जिसमें वह भाग ले रहा है उसमें उसके रिश्तेदार, संबन्धी या सम्बन्धी की फर्म या कंपनी भाग नहीं लेगी। इसके विपरीत यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्राधिकरण में इन तथ्यों को छिपाया गया है अथवा किसी समय इनकी अवहेलना की गई है तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह आवेदक का पंजीकरण निरस्त कर दे और उसके पक्ष में यदि कोई कार्य आवंटित है तो उसको भी समाप्त करते हुये उसकी जमा धनराशि को प्राधिकरण जब्त कर ले।
18. आवेदक या पंजीकृत किए जाने वाले ठेकेदार पर कम्पटीशन एक्ट, 2002 के समस्त प्रावधान लागू होंगे और उनकी अवहेलना करने पर प्राधिकरण को सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
19. यदि कोई निविदादाता बिड रिगिंग / Bid Collusion में सम्मिलित पाया जाता है अथवा निविदा की स्वस्थ प्रतियोगिता की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से दूषित करता है तो उसे प्राधिकरण द्वारा भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।
20. अमुक कार्य के सन्दर्भ में किसी निविदादाता द्वारा पूर्व में डाली गयी निविदा के साथ जमा की गयी धरोहर राशि का समायोजन उसी निविदादाता द्वारा तालिकानुसार समान कार्य हेतु डाली जाने वाली निविदा हेतु वांछित धरोहर राशि के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा।

21. सफल निविदादाता को प्राधिकरण द्वारा सूचित अवधि (10 दिन) में अनुबन्ध निष्पादित कराना आवश्यक होगा। विलम्बित अवधि, जो एक माह से अधिक न होगी, पर रु0 1000/– प्रति दिन की दर से दण्ड देय होगा। एक माह में भी अनुबन्ध निष्पादित कराने में असफल रहने पर प्राधिकरण द्वारा धरोहर राशि जब्त करते हुए निविदा की स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

22. अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉरमेन्स गारन्टी के प्रकरणों में सफल निविदादाता को प्राधिकरण अनुबन्ध निष्पादन हेतु सूचित अवधि में ही अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉरमेन्स गारन्टी जमा करानी होगी। सूचित अवधि से विलम्ब की स्थिति में वांछित धनराशि जमा न करने पर इस धनराशि पर 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से दण्ड देय होगा, जिसकी अधिकतम अवधि एक माह होगी। एक माह में भी अनुबन्ध निष्पादित कराने में असफल रहने पर प्राधिकरण द्वारा धरोहर राशि जब्त करते हुए निविदा की स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। दण्ड की यह धनराशि क्रमांक 21 में वर्णित धनराशि के अतिरिक्त होगी।

अधिशासी अभियन्ता